

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 562]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1976/चौथ 9, 1898

No. 562]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1976/PAUSA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

ORDERS

New Delhi, the 30th December 1976

S.O. 840(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 41(E) dated the 15th January, 1976 the Central Government hereby authorises the officer of the Central Government (being an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government), specified in column (1) of the Table below to perform the functions of the competent authority under the said Act and directs that the said competent authority shall perform his functions in respect of the persons specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

(2313)

TABLE

Name of Officer ..	Jurisdiction
1	2
Shri D. N. Pande, competent authority with Headquarters at Calcutta.	All persons specified in sub-section (2) of section 2 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, (13 of 1976) and who are assessed or are assessable to income-tax in, or who ordinarily reside within, the jurisdiction of the Commissioners of Income-tax with Headquarters at Asansol, Bhubaneswar, Calcutta, Patna, Shillong and the Commissioners of Income-tax (Central-I) and (Central-II) with Headquarters at Calcutta.

[No. 2/Admn. (6)/76-Safema.]

राजस्व और बीमा विभाग

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1976

का० आ० 840(अ).—तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की दिनांक 15 जनवरी 1976 की अधिसूचना संख्या का० आ० 41(ई) के सिलसिले में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को (जो सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं हो) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है और निदेश देती है कि उक्त सक्षम प्राधिकारी, कालम (2) की संगत प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपने कार्य करेगा।

सारणी

अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
1	2
श्री डी० एन० पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी, प्रधान कार्यालय, कलकत्ता।	तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 2 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति और जिनका आय-कर निर्धारण किया जाता है, आसनसोल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, पटना, शिलांग में प्रधान कार्यालय रखनेवाले आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में और कलकत्ता में प्रधान कार्यालय रखनेवाले आय-कर आयुक्त (सेंट्रल-I) और (सेंट्रल-II) के अधिकारी क्षेत्रों में होता है अथवा होने योग्य है अथवा जो उक्त अधिकार क्षेत्रों में सामान्यतः रहते हैं।

[सं० 2/प्रशा०(6)/76-साफेमा]

S.O. 841(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27, of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT(Inv)], dated 15th January, 1976, namely:—

In the Table below the said notification, for the entry in column (3) against serial No. 2, the following entry shall be substituted, namely:—

“All persons specified in sub-section (2) of section 2 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), and who are assessed or are assessable to income-tax in, or who ordinarily reside within; the jurisdiction of the Commissioners of Income-tax with Headquarters at Agra, Allahabad, Amritsar, Bhopal, Jaipur, Jodhpur, Jullundur, Kanpur, Lucknow, Meerut, New Delhi, Patiala, Rohtak and the Commissioner of Income-tax (Central) with Headquarters at New Delhi.”

[No. 3/Admn(6)/76-Safema.]

N. P. BHAT, Dy. Secy.

सां. आ. 841(अ).—तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के दिनांक 15 जनवरी, 1976 के आदेश संख्या सां. आ. 41(ई) [संख्या 1205/फा. सं. 414/2/76-आय कर (जॉच)] में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 2 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति और जिनका आयकर निर्धारण आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, जालन्धर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नई दिल्ली, पटियाला, रोहताक में प्रधान कार्यालय रखनेवाले आय-कर आयुक्त के अधिकार क्षेत्रों में और नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय रखनेवाले आय-कर आयुक्त (सेन्ट्रल) के अधिकार क्षेत्र में होता है अथवा होने योग्य है अथवा जो उक्त अधिकार क्षेत्रों में सामान्यतः रहते हैं।”

[सं. 3/प्रशा.(6)/76-साफेमा]

एन. पी. भट, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

